Proceeding of Environmental Public Hearing organized by HP State Pollution Control Board Una according to the provisions of EIA Notification No: S.O. 1533 (E) Dated: 14/09/2006 on the proposal submitted by M/s Himachal Pradesh Bulk Drug Park Infrastructure Ltd. at Village Kuthar Beet, Pollian Beet, Tibbian, Jodian. Janani and Malluwal, Tehsil-Haroli, District Una, HP for the development of the Bulk Drug Park over an area of 568.75 Hectares

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by M/s Himachal Pradesh Bulk Drug Park Infrastructure Ltd. at Village Kuthar Beet, Pollian Beet, Tibbian, Jodian. Janani and Malluwal, Tehsil-Haroli, District Una, HP for the development of the Bulk Drug Park over an area of 568.75 Hectares was organized by HP State Pollution Control Board, Regional Office Una on 20/11/2024 at 11:30 AM at open ground, Near Forest Rest House, VPO Pollian Beet, Tehsil Haroli, District Una (HP). This public Hearing was organized by HP State Pollution Control Board under the Chairmanship of Additional Deputy Commissioner Una cum Chairman of Environmental Public Hearing, according to prescribed process of public Hearing. The attendance sheet of participants present in the public hearing is enclosed as **Annex-1.**

In the Public Hearing, SDM Haroli, Additional Director- Industry Department Shimla, Joint Director DIC Una, DFO Una and Officers/Officials of various Departments of local Administration, Representatives of local Gram Panchayats and residents of local & nearby villages were also present.

First of all, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una, welcomed the Chairman, Officers/Officials of various Departments of local Administration, representative of Local Panchayats, Project Proponent & their consultant and the Public. Thereafter he gave detailed information to the people present regarding organization of the Environmental Public Hearing and started the process of Environmental Public Hearing with the permission of ADC cum Chairman of the Environment Public Hearing.

Thereafter, the Regional Officer, HPSPCB Una requested the Consultant of the Project Proponent from M/s Eco Paryavaran Laboratories and Consultant Pvt Ltd. to provide the detailed information of their proposed project for the development of Bulk Drug Park to the public. After the detailed description of various aspects of proposed Bulk Drug Park project given by the consultant to the public, the Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una asked the people present in the Environment Public Hearing to express their views, comments, suggestion and objections on the proposed mining project, without any fear and pressure from any corner.

Videography of the Public hearing was also conducted. Accordingly, the proceeding of the Environmental Public Hearing was recorded and the same is reproduced hereunder:

S. No.	Name and Address	Issues raised/Suggestions submitted	Reply of Issues raised/Suggestions submitted
1.	Sh. Ashok Kumar, Ex Pardhan Village Kuthar Beet, Tehsil Haroli Distt. Una (HP)	He asked that as stated by the Consultant of the proposed project that 70-80% of employment will be given to Himachal residents then how much employment will be given to the young residents of Village Kuthar Beet and Polliyan Beet or any extra benefit will also be given to the residents of Village Kutharbeet and Polliyan Beet.	The Additional Director, Department of Industries told that this proposed project of Bulk Drug Park will generate employment for 40,000 employees (directly and indirectly). He further

			stated that the youngsters from Himachal Pradesh with qualification in Science field, ITI background and 12th pass will be engaged in this project. He also assured that as per the policy of the Govt of HP, 80% employment will be given to Himachal bonafide persons.
2.	Cpt. Rakesh Kumar, Pardhan Polliyan Beet, District Una (HP)	He raised his concern regarding the policy of 80% employment of Himachal Bonafide persons and questioned that will there be any SOP's or Notifications be issued by the Govt. in this matter. He further stated that in M/s Nestle India Pvt Ltd & M/s Cremica industries Tahliwal, the contractor from outside the Himachal Pradesh has been engaged, who doesn't give preference to local youngsters. He further requested that, in this matter, the Govt of HP should issue notification or SOP's.	The ADC Una told that the matter related to other industries regarding the issue of employment will be taken up with the Labour Officer separately. He also asked the Additional Director, Department of Industries to take further necessary action regarding the matter of SOP's or Notification as point raised by the Pardhan, Village Kutharbeet.
3.	Sh. Neel Parkash, Village Kuthar Beet, District Una (HP)	He asked that how the Hazardous Waste will be stored either after treatment or not in the dumping site as stated by the Consultant. He raised his concern that it may result in seepage and polluting the ground water, He further asked that the project's Consultant told that 30% of the water will be recycled after treatment. So, he questioned that how the remaining 70% of the water will be disposed and whether it will be carried away underground or in open drain.	The Additional Director, Department of Industries told that the Hazardous Waste will be disposed off scientifically as per the guidelines framed by MoEF&CC. He also cited the example of Sydney Cricket playground stating that it has been built above a waste dumping site. The Consultant apprised that proper engineered and scientific dumping site comprising of impervious layers will be provided within the

Additional Deputy Commissioner
Una, District Una (H.P.)

			project area for the dumping of waste which will not allow any leaching or contamination of ground water. He further stated that the said scientific dumping site will be operated part wise and layer wise filling of waste followed by earth capping will be carried out. He also stated that the same type of scientific dumping site has already operating in Dera Bassi, Punjab. He further stated that the proposed water requirement in the project is 22 MLD and after treatment approx. 7 MLD treated water will be generated, which will be recycled back in the process, thus ensuring Zero Liquid Discharge from the Bulk Drug Park. He also told that the drains have been designed as per the contouring map of the project site so that the water can be channelized directly to CETP without any leakage or seepage from the system.
4.	Sh. Harish Kumar, Village Pollian Beet, District Una (HP)	He asked that what will be done with the private property which is coming within the boundary/periphery of the proposed Bulk Drug Park area for which NOC has not been given yet.	The Additional Director, Department of Industries told that out of 1405 acre land which has been acquired for this project, 1365 acre is Govt. land. He further stated that as of now no

Additional Deputy Commissioner Una, District Una (H.P.)

			plan has been made by the Govt. for acquiring of private land/property which is present on the boundary/periphery of the project site. If required, the land will be acquired as per the rules framed by the Govt of HP in the presence/mutual consultation of both the parties. The ADC Una told that if required, the land will be acquired as per the Land Acquisition Act or as per the agreement/negotiations between the owners and the Govt.

During the proceeding of the Public Hearing no written representations were received. As per the opinion of the local public present in the Environmental Public Hearing Programme, maximum people are in favour of the proposed project of Bulk Drug Park.

In the end, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board, Una thanked the Chairman and all other participants for participating in this Environmental Public Hearing.

Additional Deputy Commissioner
Una, Distt. Una (HP)

Additional Deputy Commissioner
Una, District Una (H.P.)

1

हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क इंन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा गॉव कुठार बीट, पोलियॉ बीट टिब्बियॉ, जोडियॉ, जननी और मालुवाल, तहसील हरोली, जिला हि0 प्र0 में 568.75 हेक्टेयर क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करनें के प्रस्तुत प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरणीय जन–सुनवाई की कार्यावाही का विवरण।

हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क इंन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा गॉव कुठार बीट, पोलियॉ बीट टिब्बियॉ, जोडियॉ, जननी और मालुवाल, तहसील हरोली, जिला हि0 प्र0 में 568.75 हेक्टेयर क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करनें के प्रस्तुत प्रस्ताव पर हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय ऊना द्वारा दिनांक 20/11/2024 को सुबह 11:00 बजे खुले मैदान, वन विश्राम ग्रह के पास, वी0 पी0 ओ0, पोलियॉ बीट, तहसील हरोली, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश में पर्यावरणीय जन–सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी की गई ई0 आई0 ए0 अधिसूचना संख्याः एस0 ओ0 1533 (ई) दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसार माननीय अतिरिक्त उपायुक्त जन–सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागियों की उपस्थिति पत्रक संलग्नक–1 मे संलग्न है।

जन–सुनवाई में एस0 डी0 एम0 हरोली, अतिरिक्त निदेशक– उद्योग विभाग शिमला, संयुक्त निदेशक डी0 आई0 सी0 ऊना, डी0 एफ0 ओ0 ऊना और स्थानीय प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्थानीय ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि और स्थानीय एवं आसपास के गांवों के निवासी भी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना के क्षेत्रीय अधिकारी इंजीनियर प्रवीण कुमार ने अध्यक्ष, स्थानीय प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों, स्थानीय पंचायतों के प्रतिनिधियों, परियोजना प्रस्तावक एवं उनके परामर्शदाता तथा जनता का स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन के संबंध में उपस्थित लोगों को विस्तृत जानकारी दी तथा पर्यावरण जन–सुनवाई के ए0 डी0 सी0 सह–अध्यक्ष की अनुमति से पर्यावरण जन–सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ की।

Additional Deputy Commissioner
Una, District Una (H.P.)

इसके बाद, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना ने परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार मैसर्स इको पर्यावरण प्रयोगशाला और सलाहकार प्राइवेट लिमिटेड मोहाली पंजाब से जनता को बल्क ड्रग पार्क के विकास के लिए अपनी प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया। सलाहकार द्वारा जनता को प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क परियोजना के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विवरण दिए जाने के बाद, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना ने पर्यावरण जन–सुनवाई में उपस्थित लोगों से प्रस्तावित खनन परियोजना पर अपने विचार, टिप्पणियां, सुझाव और आपत्तियां बिना किसी दबाब व भय से पुछनें को कहा।

इस जन–सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस पर्यावरण जन–सुनवाई के दौरान उठाये गए मुद्दद्दों एंव उनपर की गई टिप्पणीयों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रमांक	नाम व पता	मामले / सुझाव	उत्तर
1.	श्री अशोक कुमार, पूर्व प्रधान गांव कुठार बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश)	उन्होंने पूछा कि जैसा कि प्रस्तावित परियोजना के सलाहकार ने कहा है कि 70–80 प्रतिशत रोजगार हिमाचल निवासियों को दिया जाएगा, तो गांव कुठार बीत तथा पोलियां बीत के युवा निवासियों को कितना रोजगार दिया जाएगा या गांव कुठार बीत तथा पोलियां बीत के निवासियों को क्या कोई अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा।	उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने बताया कि बल्क ड्रग पार्क की इस प्रस्तावित परियोजना से 40,000 लोगों को (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से) रोजगार मिलेगा। उन्होंने आगे बताया कि हिमाचल प्रदेश से विज्ञान क्षेत्र में योग्य, आई0 टी0 आई0 पृष्ठभूमि और 12वीं पास युवाओं को इस परियोजना में रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार, 80 प्रतिशत रोजगार हिमाचल के मूल निवासियों को दिया जाएगा।
2.	कैप्टन राकेश कुमार, प्रधान पोलियां बीत, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश)	उन्होंने हिमाचल के मूल निवासियों को 80 प्रतिशत रोजगार देने की नीति पर चिंता जताई तथा पूछा कि क्या इस मामले में सरकार द्वारा कोई एस0 ओ0 पी0 या अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने मैसर्स नेस्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स कीमिका इंडस्ट्रीज टाहलीवाल का उदाहरण देते हुए कहा कि उपरोक्त उद्योगों में हिमाचल प्रदेश से बाहर के ठेकेदारों को रखा गया है, जो स्थानीय युवाओं को तरजीह नहीं देते। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि इस मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार अधिसूचना या एस0 ओ0 पी0 जारी करे।	अतिरिक्त उपायुक्त ऊना ने बताया कि उद्योगों में रोजगार से संबंधित मामलों को श्रम अधिकारी के समक्ष अलग से उठाया जाएगा। उन्होंने उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक को प्रधान पोलियां बीत, द्वारा उठाए गए एस0 ओ0 पी0 या अधिसूचना के मामले के संबंध में आगे आवश्यक कार्रवाई करनें के लिए भी कहा।
3.	श्री नील प्रकाश, गांव कुठार बीत, जिला ऊना	उन्होंने पूछा कि खतरनाक अपशिष्ट को उपचार के बाद या बिना किसी डंपिंग साइट के कैसे संग्रहीत किया	उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने बताया कि खतरनाक कचरे का निपटान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

Additional Deputy Commissioner Una, District Una (H.P.)

	(हिमाचल प्रदेश)	जाएगा, जैसा कि सलाहकार ने कहा है। उन्होंने चिंता जताई कि इससे रिसाव हो सकता है और भूजल प्रदूषित हो सकता है। उन्होंने आगे पूछा कि परियोजना के सलाहकार ने बताया कि उपचार के बाद 30 प्रतिशत पानी को रिसाइकिल किया जाएगा। इसलिए, उन्होंने सवाल किया कि शेष 70 प्रतिशत पानी का निपटान कैसे किया जाएगा और क्या इसे भूमिगत या खुले नाले में छोडा जाएगा।	द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। उन्होंने सिडनी क्रिकेट खेल के मैदान का उदाहरण देते हुए कहा कि यह मैदान कचरा डंपिंग साइट के ऊपर बनाया गया है। सलाहकार ने बताया कि परियोजना क्षेत्र में कचरे के डंपिंग के लिए अभेद्य परतों वाली उचित इंजीनियर्ड और वैज्ञानिक डंपिंग साइट प्रदान की जाएगी, जिससे भूजल का रिसाव या प्रदूषण नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि उक्त वैज्ञानिक डंपिंग साइट को भागवार संचालित किया जाएगा और कचरे को परतवार भरने के बाद मिट्टी की परत चढ़ाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसी प्रकार की वैज्ञानिक डंपिंग साइट पहले से ही डेरा बस्सी, पंजाब में संचालित है। उन्होंने आगे कहा कि परियोजना में प्रस्तावित पानी की आवश्यकता 22 एमएलडी है और उपचार के बाद लगभग 7 एमएलडी उपचारित पानी उत्पन्न होगा, जिसे प्रक्रिया में वापस रिसाइकिल किया जाएगा, इस प्रकार बल्क ड्रग पार्क से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सुनिश्चित होगा। उन्होंने यह भी बताया कि नालियों को परियोजना स्थल के समोच्च मानचित्र के अनुसार डिजाइन किया गया है, ताकि सिस्टम से किसी भी प्रकार के रिसाव के बिना पानी को सीधे सी0 ई0 टी0 पी0 तक पहुंचाया जा सके।

Additional Deputy Commissioner
Una, District Una (H.P.)

4.	श्री हरीश कुमार, गांव पोलियां बीत, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश)	उन्होंने पूछा कि प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क क्षेत्र की सीमा परिधि में आने वाली निजी संपत्ति का क्या किया जाएगा, जिसके लिए अभी तक एन0 ओ0 सी0 नहीं दी गई है।	उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने बताया कि इस परियोजना के लिए 1405 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसमें से 1365 एकड़ सरकारी भूमि है। उन्होंने आगे बताया कि परियोजना स्थल की सीमा परिधि पर मौजूद निजी भूमि व संपत्ति के अधिग्रहण के लिए सरकार द्वारा अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है। यदि आवश्यक हुआ तो दोनों पक्षों की उपस्थिति व आपसी परामर्श से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। ए0 डी0 सी0 ऊना ने बताया कि यदि आवश्यक हुआ तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार या मालिकों और सरकार के बीच समझौता व बातचीत के अनुसार भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

जन सुनवाई की कार्यवाही के दौरान कोई लिखित अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ। पर्यावरण जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय जनता की राय के अनुसार, अधिकतम लोग प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क परियोजना के पक्ष में हैं।

अंत में, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऊना के क्षेत्रीय अधिकारी इंजीनियर प्रवीण कुमार ने इस पर्यावरणीय जन–सुनवाई में भाग लेने के लिए अध्यक्ष तथा अन्य सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया।

अतिरिक्त उपायुक्त
Additional Deputy Commissioner
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
Una, District Una